

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 78/2022-23

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 765, दिनांक- 20.05. 2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. अवध किशोर हाजरा, पिता- स्व0 हरिपद हाजरा, 2. मंटुपद हाजरा, पिता- स्व0 भीखुलाल हाजरा, दोनो साकिम- पण्डुकी, पो0- नागनगर, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- पण्डुकी, मौजा नं0- 90, गत खाता सं0-73, गत प्लॉट सं0- 820, नया खाता सं0- 15, नया प्लॉट सं0- 1173, रकवा- 04 डिसमील भूमि क्रेता रीतु राज, पिता- सुरेश कुमार पासवान, साकिम- 152 a, झरिया, नियर शिव मंदिर, जीतपुर, चकफुटहा, थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के दुसाध हैं तथा विक्रेता थाना- बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.37 एकड़ शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।